प्रारूप – ब

(देखिये नियम 9(3)(4) और (6))

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) आमेट
जिला राजसमन्द (राज0)

क्रमांकः भू0रू0 / 2018 / 5   दिनांक : –26/7/ 2018

संपरिवर्तन–आदेश

श्री अंकित जोशी पिता निरंजन जोशी निवासी सरदारगढ़ द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बुकरडा ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील आमेट जिला राजसमंद के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्व भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र) में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजननो के लिये संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 (3) (4) और (6) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई हैः–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता /पति का नाम सहित तथा पूरा पता	**श्री अंकित जोशी पिता निरंजन जोशी निवासी सरदारगढ़**
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3	नियमन से संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम	**ग्राम बुकरडा ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील आमेट**
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	आराजी नम्बर 808/275, 809/276, 810/279 रकबा क्रमशः 0.4390, 0.0380, 0.2940 कुल 0. 7710 हैक्टर अर्थात 7710 वर्ग मीटर
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या क्षेत्रफल को उपादर्शित करते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक एक सत्यापित प्रति सत्यापित प्रति संलग्न करे।	आराजी नम्बर 808/275, 809/276, 810/279 रकबा क्रमशः 0.4390, 0.0380, 0.2940 कुल 0. 7710 हैक्टर अर्थात 7710 वर्ग मीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	**आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ**
5	संदेय प्रिमियम की दर	रू. 7.5/– प्रति वर्ग मीटर
6	(क) चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रिमियम की रकम	चालान नम्बर 20992314 दिनांक 05. 02.2018 राशि 5000/– मद 0029 एवं चालान नम्बर 23999566 दिनांक 19.07.2018 राशि 54880/– मद 0029
	(ख) संपरिवर्तन शुल्क का 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क	चालान नम्बर 20992392 दिनांक 05. 02.2018 राशि 2400/– मद 0030 एवं चालान नम्बर 23999715 दिनांक 19.07.2018 राशि 3300/– मद 0030
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि हो तो जमा करायी गई रकम	–
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा करायी गयी रकम	–
9	क्या आदेश नियमितिकरण के नियम 13 अधिन जारी किया गया है।	–
10	अन्य विशिष्ठियां यदि कोई हो	–

उपखण्ड अधिकारी क्रमशः..

उपर्युक्त नियमन संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्ययधीन होगा :–

1– उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

2– यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पॉच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहा है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी ओर आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन सम्पहृत हो जायेगा।

3– नियम 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।

4– कि लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञान प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

5– प्रार्थी द्वारा रूपान्तरित भूमि पर ग्रामीण रास्ते के मध्य से 12.5 मीटर की दुरी छोडकर इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्ड अनुसार किया जा सकेगा। साथ ही आवदेक को संपरिवर्तित भूमि से 0 पेड़ हटाने की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि वह एक वर्ष की कालावधि में हटाए गये पेड़ों के स्थान पर तीन गुने छायादार या घने पेड़ लगायेगा। ऐसा करने में विफल रहने पर जब तक पेड़ नहीं लगाये जाते है, तब तक पांच सौ रूपये प्रति वर्ष का अर्थ दण्ड राजस्व शीर्ष में जमा कराना होगा।

6– यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी और यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडक मार्ग से रास्ता चाहता है तो उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी ।

7– निकटस्थ स्थानीय निकाय की उप विधियो में निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही रूपान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

8– प्रार्थी इस आदेश से रूपान्तरित भूमि का उपयोग उक्त नियम 9 (2) एवं तत्क्रम में अधिसूचना दिनांक 25.04.07 से गठित कमेटी के द्वारा आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के ले आउट के अनुमोदन के अनुसार निर्माण किया जावेगा प्रोजेक्ट मे दर्शाये गये प्रयोजनार्थ ही केवल सार्वजनिक हितार्थ उपयोग मे ली जा सकेगी। किन्तु सुविधा क्षेत्र की भूमि के अन्यथा उपयोग विक्रय अथवा किसी भी से हक हस्तान्तरण का अधिकार प्रार्थी का नही होगा ।

9– ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी/परियोजना(औघोगिक क्षेत्र/औघोगिक सम्पदा) स्थापित करने के लिए कुल भूमि का 40 प्रतिशत सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा और वाणिज्यिक और संस्थागत प्रयोजन के लिए कुल भूमि के 5 प्रतिशत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए शेष 60 प्रतिशत भूमि आवासीय परियोजना के लिए उपयोग में लायी जायेगी। आवासीय कॉलोनी/परियोजना की दर से संपरिवर्तन प्रभार आवासीय कॉलोनी/परियोजना के कुल क्षैत्र पर संदेय होंगे। ग्रामीण क्षैत्रों में आवासीय कॉलोनी/परियोजना (औघोगिक क्षैत्र/औघोगिक सम्पदा) स्थापित करने के लिए ("परियोजना विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जायेगी ओर विहित प्राधिकारी अभिन्यास योजना को अनुमोदित करेगा यदि वह उपर वर्णित शर्तो को पूरा करती है और उसका परियोजना तक पहुँच–मार्ग चौडाई में तीस फीट से कम नहीं है और ऐसी अनुमोदित अभिन्यास योजना संपरिवर्तन आदेश का भाग होगी। किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अभिन्यास योजना का अनुमोदित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा")

10– राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प–6(6)राज–6/92पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की सुनिश्चित की जावें।

11– प्रार्थी द्वारा रूपान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य से, जल प्रवाह को बाधित नही किया जावेगा।

12– प्रार्थी द्वारा रूपान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डा अनुसार किया जावेगा ।

13– सडक मार्गाधिकार पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु प्लान में दर्शायेनुसार आरक्षित रखी जाये एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार योजना के पूर्ण रूप से विकसित होने तक सेलेबल प्लोट्स का 12.5 प्रतिशत प्लाट्स को स्थानीय निकाय के पास रखा जाना है जिससे कि योजना का आन्तरिक विकास सुनिश्चत किया जा सके।

14– सलंग्न संशोधित प्लान में दर्शाये अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में सडक का मार्गाधिकार 80 फीट एवं अन्य आन्तरिक सडको का मार्गाधिकार प्लान में दर्शाये अनुसार 30 फीट छुडवाया जावें।

15– स्टार्म वाटर ड्रेनेज प्लान तैयार करवाते हुए मौके पर ड्रेनेज की उचित निकासी की व्यवस्था प्रार्थी को स्वयं को करनी होगी।

उपखण्ड अधिकारी
आमेट जिला राजसमन्द
आमेट जिला राजसमन्द

क्रमशः..

- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार सडक प्रतिरूप, जनोपयोगी सुविधाएं, सुविधा क्षेत्र एवं पार्क आदि के एवं स्ट्रीट लाईट, वाटर सप्लाई, सिवरेज एवं ड्रेनेज, होर्टिकल्चर एवं प्लांटेशन इत्यादि सुविधायें विकसित की जावें।

17– राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं / आदेशों / परिपत्रों / निर्देशों / नियमों आदि की पालना सुनिश्चित करवाते हुए यह भी सुनिश्चित करावें कि माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना नहीं हों।

18– उक्त भूमि आवॉसिय कॉलोनी प्रयोजन के लिए भूमि संपरिवर्तन की जा रही है उसके लिए राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक एफ.6(26)राज.6 / 2014 / 33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के नियम 19 बी के तहत् जिला कलक्टर महोदय से बिल्डिंग प्लान अनुमोदित करवाना होगा। इसके अभाव में मौके पर निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा न ही इस भूमि का बेचान, रहन, हस्तान्तरण किया जाएगा।

संलग्न :– नक्शा एक

उपखण्ड अधिकारी
(प्राधिकृत अधिकारी) आमेट

क्रमांक– भू.रू. / 2018 / 5 दिनांकः–26 / 7 / 2018

प्रतिलिपि :–

1– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द ।
2– तहसीलदार आमेट को भेजकर लेख है कि जिला कलक्टर महोदय से नक्शा अनुमोदन के बाद नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
3– पटवारी हल्का पनोतिया को पालनार्थ।
4– ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द।
5– आवेदक श्री अंकित जोशी पिता निरंजन जोशी निवासी सरदारगढ़।
6– रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(प्राधिकृत अधिकारी) आमेट

CHOGALA VIHAR

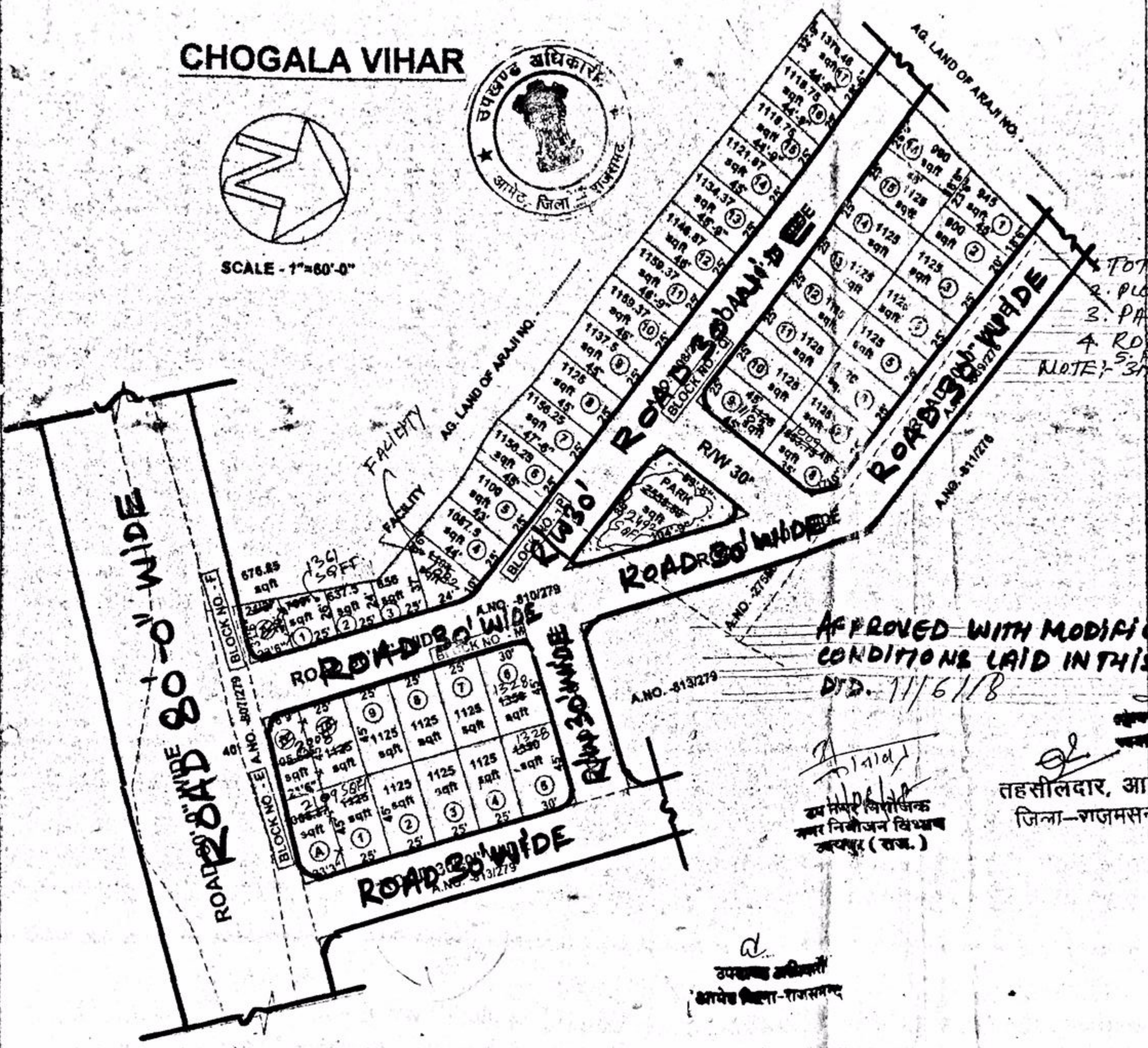

PROPOSED LAY OUT PLAN OF A.NO. - 808/275 809/276, 810/279 FOR RESIDENTIAL CONVERSION AT REV. VILLAGE - BUKARDA, TEHSIL - AMET, DISTT. - RAJSAMAND.

TOTAL LAND = 0.7710 HEC. = ~~(7710.00 SQMT.)~~

AREA FOR CONVERSION = ~~(4628.73 SQMT.)~~

ROAD, PARK & FACILITY AREA = ~~33~~

APPLICANT.

AREA ANALYSIS

1. TOTAL AREA – 82959.65 SQFT. 100%
2. PLOT AREA – 49591.81 SQFT 59.77%
3. PARK AREA – 2492 SQFT 3.00%
4. ROAD AREA – 29793.79 SQFT. 35.93%
5. FACILITY – 1082 SQFT. 1.3%

NOTE:- आवंटित राशि का सम्बन्धित पटवारी से सीमांकन एवं प्रमाणीकरण पश्चात पट्टा विलेख जारी किया जावे।

KHASARA PLAN

(उपनिदेशक UDIM)

APPROVED WITH MODIFICATIONS SHOWN IN BLACK AS PER THE CONDITIONS LAID IN THIS OFFICE LETTER NO UDR/1628/RJD/693-91 DTD. 11/6/18

वरिष्ठ नगर नियोजक
उप नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
उदयपुर (राज.)

तहसीलदार, आमेट
जिला—राजसमन्द

अधिशाषी अभियंता (अभियान्त्रिकी)
ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ
जिला परिषद् राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी
आमेट जिला-राजसमन्द

(49591.81)

Ankit Jaghis

SIGN. OF APPLICANT

223